Act No. 38 of 2013

2013 का विधेयक संख्यांक 12

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 खण्डों का क्रम

खण्ड :

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
- 2. धारा 41 का संशोधन ।

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2010 का अधिनियम संख्यांक 1) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो:—

- . 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम इण्डस इन्टरनेशनल संक्षिप्त नाम विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2013 है । और प्रारम्म ।
 - (2) यह 22 अक्तूबर, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।
- 2. इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) घारा 41 का ^{2010 का 1} अधिनियम, 2009 की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में ''पच्चीस वर्ष'' शब्दों ^{संशोधन} । के स्थान पर ''पचास वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे ।

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है ।

शिमला—171004. शिमलाः **३७ —%**—2013

में इ.। भिधेयक पर अनुमति देती हूं

शिमला–171002. शिमलाः स्ट्रिस्ट 42013 म् उत्तर विद्यारी मान हरे अध्यक्ष । अध्यक्ष । हिमाचल प्रदेश विधान समा, शिमला

> डॉब दा पि राज्यपाल हामस्माल ५देश

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 12 OF 2013

THE INDUS INTERNATIONAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013

(Passed as Amended by the Legislative Assembly)

THE INDUS INTERNATIONAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

- 1. Short title and commencement.
- 2. Amendment of section 41.

THE INDUS INTERNATIONAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013

(Passed as Amended by the Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Indus International University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 1 of 2010).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

(1) This Act may be called the Indus International University Short title 1. (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2013.

commencement.

- (2) It shall be deemed to have come into force on 22nd day of October, 2009.
- In section 41 of the Indus International University (Establishment Amendment and Regulation) Act, 2009, in sub-section (2), in the proviso, for the words of section of 2010 "twenty five years", the words "fifty years" shall be substituted.

में, "इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्याक 12)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूँ ।

डिकि धा टि स्वाउपाल हिनास्स्मप्राद्धन हिमाचल प्रदेश।

राज्यपाल ने ''इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्याक 12)'' के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

रिमाचल प्रदेश सरकार।